मै0 नैनी टिस्यूज लि. मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर के क्षमता विस्तारीकरण के प्रस्ताव के सदर्भ में दिनांक 10.07.2014 प्रातः 11.00 बजे अपर जिलाधिकारी (नजूल) जिला उधमसिंह नगर की अध्यक्षता में उद्योग परिसर में आहूत लोक सुनवाई का कार्यवृत।

वन एवं पर्यावरण मत्रांलय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अर्न्तगत अधिसूचित, अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार मै0 नैनी टिस्यूज लि. के 100टन प्रतिदिन राइटिंग एण्ड प्रिटिंग पेपर क्षमता से 140 टन प्रतिदिन अर्थात 40 टन अतिरिक्त राइटिंग एण्ड प्रिटिंग पेपर उत्पादन हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लोक सुनवाई दिनांक 10.07.14 को उद्योग परिसर मे अपर जिलाधिकारी (नजूल) जिला उधमसिंह नगर की अध्यक्षता मे प्रातः 11बजे से प्रारम्भ की गयी। सुनवाई का कार्यवृत निम्नवत है।

1. क्षेत्रीय कार्यालय कार्निकों द्वारा उपस्थित जनसमूह की उपस्थिति दर्ज की गयी।
2. एस0पी0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय तथा सुनवाई हेतु आये हुये गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये अपर जिलाधिकारी से सुनवाई आरम्भ करने की अनुमति ली गयी तथा सुनवाई के उद्देश्यों से अवगत कराया गया।
3. अपर जिलाधिकारी (नजूल) उधमसिंह नगर, श्री आशीष भट्गांई द्वारा लोक सुनवाई के संबध में संक्षिप्त विवरण उपस्थित जन समूह को अवगत कराने के निर्देश के साथ सुनवाई आरम्भ करायी गयी।
4. कार्यालय अधीक्षक, श्री सोबन सिंह बिष्ट ने लोक सुनवाई के सबंध मे सक्षिप्त विवरण देते हुये उपस्थित जनता को अवगत कराया कि उक्त उद्योग से स्थापित प्लांट में कृषि आधारित कच्चा माल जिसमें गेहू की भूसी, गन्ने की खोई व आयातित वूड पल्प कास्टिक सोडा आदि कच्चे माल का प्रयोग करते हुये 100 टन प्रतिदिन राइटिंग एण्ड प्रिटिंग पेपर से 140टन प्रतिदिन राइटिंग एण्ड प्रिटिंग पेपर अथार्त 40 टन अतिरिक्त क्षमता विस्तारीकरण हेतु प्रस्ताव बोर्ड में प्राप्त हुआ जिसके संबंध में वन एवं पर्यावरण मत्रांलय भारत सरकार की ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 14 सितम्बर 2006 में पल्प एण्ड पेपर उद्योग ए श्रेणी में रखे गये है जिनको पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा यह लोक सुनवाई करवाई जा रही है। इस उद्योग के क्षमत विस्तारीकरण प्रस्ताव के संबंध में लोकसुनवाई में उपस्थित काई भी व्यक्ति, संगठन जनप्रतिनिधि अपनी आपत्तियॉ, सुझाव, व टीका टिप्पणी, मौखिक अथवा लिखि यहां पर बेझिझक दे सकते है। उनके आपत्तियॉ, सुझाव, टीका टिप्पणी, व

कार्यवृत में सम्मिलित किया जायेगा तथा तदानुसार कार्यवृत्त में सम्मिलित कर वन एवं पर्यावरण मत्रांलय भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

5. तद्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), द्वारा उद्योग के तकनीकी सलाहकार श्री एम0पी0 पंवार उद्योग के तकनीकी निर्देशक से अपेक्षा की गयी कि वह उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य मे उद्योग द्वारा अपनायी जाने वाली तकनीकी विवरण व पर्यावरण सुधार के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं संबधी विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित जन समूह के समक्ष प्रदर्शित करे। इसके उपरान्त उपस्थित जनसमूह से प्रस्ताव के संबंध में आपत्तियॉ, सुझाव व टीका टिप्पणी, मौखिक अथवा लिखित रूप में देने का आह्वान किया गया ।

1. श्री दया शंकर पाण्डे, ग्राम कमालपुरी ने पूछा कि उद्योग में क्षमता विस्तार के कारण उद्योग में ईंधन की खपत भी बढेगी। उद्योग द्वारा चिमनी से बाहर उत्सर्जित गैस जिसके काले धुऐ में राख के कण बाहर जाते है इसकी रोकथाम मे उद्योग की क्या व्यवस्था है। श्री पंवार ने अवगत कराया कि उनके यहॉ स्थापित व्वायलरों मे लगी चिमनियों में ट्रिमा साइक्लोन, वैट स्क्रंवर स्थापित किये गये है, जिससे राख के कण वायुमण्डल मे नही जाते है। इसके अलावा चिमनियों की ऊचाई भी बोर्ड मानकों के अनुरूप है। उनके उद्योग से काला धुआ वातावरण में नही छोडा जाता है।
2. श्री मुरारी लाल शर्मा ग्राम हरियावाला, द्वारा जानना चाहा कि उद्योग मे क्षमता विस्तार से पानी की खपत भी बढेगी जिसे भूमिगत स्त्रोत से लिया जायेगा। उद्योग द्वारा भूजल संतुलन के लिए क्या उपाय किये जायेगे। श्री पंवार द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके उद्योग में ऐसी तकनीक अपनायी गयी है जिसमें पानी की अपेक्षा कम मात्रा खर्च होती है उद्योग द्वारा लगभग 40 से 45 प्रतिशत जल क पुनः प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल के संतुलन के लिए उद्योग में रेन वाट हार्वेस्टिग प्लांट की स्थापना की गयी है जिससे वर्षा का जल एकत्रित कर भूमिग डाला जायेगा।
3. श्री चन्द्र शेखर चोपडा, ग्राम हरियावाला ने प्रश्न किया कि उद्योग के व्वयालर निकलने वाले राख के निस्तारण के लिए उद्योग में क्या उपाय अपनाये जायेगे। पंवार द्वारा अवगत कराया गया कि व्वयालरो से निकलने वाले राख को उचि प्रकार से एकत्रित कर कुछ मात्रा में लोलैण्ड फिलिंग में प्रयोग किया जाता है। राख फसलो के लिए भी खाद के रूप मे उपयोगी होती है। क्षेत्र के कुछ किस भी इस राख को खेतों के लिए ले जाते है।
4. श्री मोहम्मद युसूफ ग्राम इस्लाम नगर ने प्रश्न किया कि उद्योग में स्थापित रिक से निकलने वाले सफेद धुऐ से आस पास के लोगो को कोई नुकसान तो होगा। श्री पंवार द्वारा अवगत कराया गया कि रिकवरी के Evopration Sectio ब्लैक लीकर की भाप होती है। कुछ मात्रा में जो सफेद धुआ बाहर आता है भाप होती है, इससे आस पास के निवासियो को कोई नुकसान नही होता।

कार्यवृत में सम्मिलित किया जायेगा तथा तदानुसार कार्यवृत्त में सम्मिलित कर वन एवं पर्यावरण मत्रांलय भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

5. तद्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), द्वारा उद्योग के तकनीकी सलाहकार श्री एम0पी0 पंवार उद्योग के तकनीकी निर्देशक से अपेक्षा की गयी कि वह उद्योग के क्षमता विस्तारीकरण के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य मे उद्योग द्वारा अपनायी जाने वाली तकनीकी विवरण व पर्यावरण सुधार के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं संबन्धी विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित जन समूह के समक्ष प्रदर्शित करे। इसके उपरान्त उपस्थित जनसमूह से प्रस्ताव के संबंध में आपत्तियाँ, सुझाव व टीका टिप्पणी, मौखिक अथवा लिखित रूप में देने का आह्वान किया गया ।

1. श्री दया शंकर पाण्डे, ग्राम कमालपुरी ने पूछा कि उद्योग में क्षमता विस्तार के कारण उद्योग में ईंधन की खपत भी बढेगी। उद्योग द्वारा चिमनी से बाहर उत्सर्जित गैस जिसके काले धुऐ में राख के कण बाहर जाते है इसकी रोकथाम मे उद्योग की क्या व्यवस्था है। श्री पंवार ने अवगत कराया कि उनके यहाँ स्थापित व्वायलरों मे लगी चिमनियों में ट्रिमा साइक्लोन, वैट स्क्रंवर स्थापित किये गये है, जिससे राख के कण वायुमण्डल मे नही जाते है। इसके अलावा चिमनियों की ऊचाई भी बोर्ड मानकों के अनुरूप है। उनके उद्योग से काला धुआ वातावरण में नही छोडा जाता है।

2. श्री मुरारी लाल शर्मा ग्राम हरियावाला, द्वारा जानना चाहा कि उद्योग मे क्षमता विस्तार से पानी की खपत भी बढेगी जिसे भूमिगत स्त्रोत से लिया जायेगा। उद्योग द्वारा भूजल संतुलन के लिए क्या उपाय किये जायेगे। श्री पंवार द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके उद्योग में ऐसी तकनीक अपनायी गयी है जिसमें पानी की अपेक्षा कम मात्रा खर्च होती है उद्योग द्वारा लगभग 40 से 45 प्रतिशत जल का पुनः प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल के संतुलन के लिए उद्योग में रेन वाटर हार्वेस्टिग प्लांट की स्थापना की गयी है जिससे वर्षा का जल एकत्रित कर भूमिगत डाला जायेगा।

3. श्री चन्द्र शेखर चोपडा, ग्राम हरियावाला ने प्रश्न किया कि उद्योग के व्वयालर से निकलने वाले राख के निस्तारण के लिए उद्योग में क्या उपाय अपनाये जायेगे। श्री पंवार द्वारा अवगत कराया गया कि व्वयालरो से निकलने वाले राख को उचित प्रकार से एकत्रित कर कुछ मात्रा में लोलैण्ड फिलिंग में प्रयोग किया जाता है। यह राख फसलो के लिए भी खाद के रूप मे उपयोगी होती है। क्षेत्र के कुछ किसान भी इस राख को खेतों के लिए ले जाते है।

4. श्री मोहम्मद युसूफ ग्राम इस्लाम नगर ने प्रश्न किया कि उद्योग में स्थापित रिकवरी से निकलने वाले सफेद धुऐ से आस पास के लोगो को कोई नुकसान तो नही होगा। श्री पंवार द्वारा अवगत कराया गया कि रिकवरी के Evopration Section ब्लैक लीकर की भाप होती है। कुछ मात्रा में जो सफेद धुआ बाहर आता है, भाप होती है, इससे आस पास के निवासियो को कोई नुकसान नही होता।

5. श्री सुरेन्द्र कुमार, ग्राम फरीदपुर, ने प्रश्न किया कि उद्योग मे क्षमता विस्तार से आस पास के लोगो को क्या फायदा होगा। श्री पंवार द्वारा अवगत कराया कि उद्योग लगने से आस पास के क्षेत्र का स्वंय विकास होता है। स्थानीय लोगो को रोजगार मिलता है। आस पास के गांवो से कच्चा माल खरीदा जाता है जिससे ग्रामीणो की कय शक्ति बढती है।

6. श्री मासूम चौधरी ग्राम बसई इस्लाम नगर ने प्रश्न किया कि उद्योग में क्षमता विस्तारीकरण से क्या क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री पंवार द्वारा अवगत कराया कि इस विस्तारीकरण में पचास अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता होगी। उद्योग योग्यता के अनुसार मैन पावर स्थानीय गांवो से पूरा करेगा।

अन्त में अपर जिलाधिकारी, नजूल व क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) द्वारा मंच से पुनः उपस्थित जन समूह से अपनी आपत्तियाँ, सुझाव, व टीका टिप्पणी, व्यक्त करने की पुनः अपेक्षा की गयी तथा बोर्ड के कार्मिको से लाउडस्पीकर लेकर जनता के बीच जा कर आपत्तियाँ, सुझाव, व टीका टिप्पणी, लेने हेतु निर्देश दिया गया। बोर्ड के कार्मिको द्वारा निर्देश का अनुपालन करते हुये जनता के बीच जा कर उक्त के संबंध में अपेक्षा की गयी। उक्त के अतिरिक्त सुनवाई के दौरान कोई मौखिक अथवा लिखित आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी।

सुनवाई में कुल 94 व्यक्ति उपस्थित थे। जिनकी उपस्थिति संलग्न है।

अंन्त में अपर जिलाधिकारी, (नजूल) उधमसिंहनगर द्वारा उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया ।

(एस0पी0सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

(आशीष भट्गांई)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
उधमसिंह नगर

मै0 नैनी टिस्यूज लि. मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर के 100 टी0पी0डी0 से 140 टी0पी0डी0 राइटिंग एण्ड प्रिटिंग ग्रेड पेपर हेतु बोर्ड में प्राप्त क्षमता विस्तारीकरण के प्रस्ताव के सदर्भ में दिनांक 10.07.2014 प्रातः 11.00 बजे उद्योग परिसर में अपर जिलाधिकारी (नजूल) जिला उधमसिंह नगर की अध्यक्षता में आहूत लोक सुनवाई की उपस्थिति।

क0 सं0	नाम, पदनाम व पता	दूरभाष नम्बर	हस्ताक्षर
1	आशीष भट्टगांई, अपर जिलाधिकारी (नजूल), जिला उधमसिंहनगर	9412412776	
2	एस0पी0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), यूईपीपीसीबी, काशीपुर	9412998147	
3	नरेश [illegible] प्र0 ई.को.को सं0 को0 काशीपुर	9612130888	
	परिश्रा चौहान हरियावाला	9410800837	
	मुहम्मद-इस्लामाबाद	9927951543	
	दया शंकर पाण्डेय - कमालपुरी	9761841564	
	मुरारी लाल शर्मा - हरियावाला	9557250964	
	शैलेन्द्र कुमार फरीदनगर	9411947237	
	राहुल (अखिलेश ठाकुर द्वारा)	9012995412	
	अजय पाल सिंह - ग्राम - अस्लामपुर (लालू द्वारा)	7351387193	
	सुनील कुमार रायपुरवाला	8438910516	
	महेन्द्र सिंह कालाढूंगा	9761752406	
	बलवीर सिंह फरीदनगर	9528337297	
	[illegible] - कालाढूंगा	9058616009	
	चन्द्रशेखर चोपड़ा हरियावाला	7500220164	

	नाम, पदनाम व पता	दूरभाष नम्बर	हस्ताक्षर
	राजकुमार - कमालपुर	8941822853 - राजकुमार	
	[illegible]	[illegible]	
	रामराम सिंह कर्मई	9759333332	
	संजय कुमार रामूवाला बनेरा	9634643185	
	[illegible] हरियावाला	7500853726	
	[illegible]	9456352865	
	महेन्द्र सिंह जैनाथपुर	9756322677	
	किशन शर्मा कमालपुरी	8923741723	
	[illegible] हरियावाला	8954487174	
	बाबू सिंह मुरलीवाला	9758901495	
	[illegible]	9756549766	
	[illegible]	9410661128	
	[illegible] रायपावाला	9756139636	
	[illegible]	9760326933	
	[illegible]	9627789149	
	[illegible] सिंह [illegible]		
	[illegible]	8534039272	
	[illegible] फरीदनगर	7830131854	

...0 नेनी टिस्यूज लि. मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर के 100 टी०पी०डी० से 140 टी०पी०डी० राइटिंग एण्ड प्रिंटिंग ग्रेड पेपर हेतु मौके पर प्रस्ताव विस्तारीकरण के प्रस्ताव के सदर्भ में दिनांक 10.07.2014 प्रातः 11.00 बजे उद्योग परिसर में अपर जिलाधिकारी (नजूल) जिला उधमसिंह नगर की अध्यक्षता में जनसुनवाई की उपस्थिति।

क्र० सं०	नाम, पदनाम व पता		दूरभाष नम्बर	हस्ताक्षर
1	सत्येन्द्र कुमार सिंह	बसई	9557270212	
	कुंवरपाल सिंह	रामनगला गोरा	9750433031	
	अरविन्द कुमार	रामनगला	9719553330	
	शिवम चतुर्वेदी	[illegible]	6979271840	
	सुमेर चौधरी	[illegible]	[illegible]	
	पवन शर्मा	कमालपुर	9759328374	
	अंशु कुमार चौधरी	हरिपावला	[illegible]	
	[illegible]	बसई	9410327707	
	प्रमोद कुमार	[illegible]	9557342557	
	[illegible]	हरिपावला	7409150[illegible]	
	लवकुश	कमालपुर	9568916	
	[illegible]	बसई	[illegible]	
	बाल कुमार सिंह	[illegible]	78301	
	[illegible]	[illegible]	99170	
	[illegible] सिंह	[illegible]	735	
	गौरव कुमार	[illegible]	[illegible]	
	रामजीत गुप्ता	बसई	[illegible]	

...0 नेनी टिस्यूज लि. मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर के 100 टी०पी०डी० से 140 टी०पी०डी० राइटिंग एण्ड प्रिंटिंग ग्रेड पेपर हेतु मौके पर प्रस्ताव विस्तारीकरण के प्रस्ताव के सदर्भ में दिनांक 10.07.2014 प्रातः 11.00 बजे उद्योग परिसर में अपर जिलाधिकारी (नजूल) जिला उधमसिंह नगर की अध्यक्षता में जनसुनवाई की उपस्थिति।

क्र० सं०	नाम, पदनाम व पता		दूरभाष नम्बर	हस्ताक्षर
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Sunil Kumar Raghuwanshi	[illegible]	2756335736	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	9756455[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	983767	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	प्रेमपाल	मानावाला	90125	
	शिवराज	ठाकुरद्वारा	75583	
	[illegible] चौधरी	इस्लामनगर बसई	96391	
	Rajesh Kumar Singh	[illegible]	817108	
	[illegible] अली	इस्लामनगर	9927	
	[illegible] कुमार	[illegible]	975	
	[illegible]	[illegible]	992	

ग्राम पंचायत हिरमूर्ण नि. मुरादाबाद ब्लाक आमरोहा, जिला अमरोहा नगर के ग्राम [illegible] के 140 डीएमएफ शाइटिंग एण्ड मिक्सिंग प्लांट के संचालन [illegible] के प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 10.07.2014 [illegible] 11.00 बजे आहूत लोक सुनवाई की उपस्थिति।

क्र० सं०	नाम, पदनाम व पता		मूलभाव नम्बर	हस्ताक्षर
69	अनुज वैद्यी	होमचाना	7897488370	[illegible]
70	चन्द्रेन्द्र सिंह	[illegible]	9337154195	[illegible]
71	मो० इसाक	इस्लाम नगर	— —	[illegible]
72	रामश्याम	फरीदनगर	9756853047	[illegible]
73	गजन सिंह	फरीदनगर	— —	[illegible]
74	रणवीर सिंह	फरीदनगर	— —	[illegible]
75	शिवचन्द	फरीदनगर	— —	[illegible]
76	चरन सिंह	फरीदनगर	— —	
77	नरेश सिंह	फरीदनगर	3958071	
78	उपेन्द्र सुल्तान	[illegible]	9837941[illegible]	
79	जितेन्द्र	सिंहगोले चतरपुर	975621	
80	कुशाग्र	मल्हौरा चतरपुर	96274	
81	भूपेन्द्र सिंह	चतरपुर	[illegible]034	
82	नजूल	[illegible]	[illegible]	963
83	रितेश कुमार	नूरपुर		
84	सोवनसिंह	[illegible]		98
85	UEPPCL	[illegible]		

(95)